

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश  
17, अरेरा हिल्स, भोपाल

फ़ोन- 2550488, 2550446, 2553305, 2551282, फ़ैक्स- 0755- 2555162

E-Mail : ceomp@mp.nic.in, Website: ceomadhyapradesh.nic.in

फा. क्र. 01/2013/3/2452  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 11/4/2012

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

(समस्त) मध्यप्रदेश

विषय: फोटो निर्वाचक नामावली को अद्यतन करने हेतु डोर-टू-डोर सर्वे कराने के संबंध में निर्देश।  
संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1/2013/3/2123 दिनांक 27.3.2012 एवं पत्र क्रमांक-01/2013/3/2409 दिनांक-9/4/2012

- 1 - विषयांतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 23/एमपी/2012 दिनांक 2 अप्रैल, 2012 के तहत 15 अप्रैल 2012 से 31 मई, 2012 तक फोटो निर्वाचक नामावली के अद्यतन हेतु डोर टू डोर सर्वे कराना निर्धारित किया गया है। आशा है कि आपके द्वारा इस कार्यालय के पत्र दिनांक 27.03.2012 के अनुसार आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गयी होंगी।
- 2 - इस विशेष डोर-टू-डोर सर्वे का मुख्य उद्देश्य 01.01.2012 की अर्हता तिथि के अनुसार 05.01.2012 को प्रकाशित फोटो निर्वाचक नामावली में विधिवत नियमानुसार छूटे हुए पात्र मतदाताओं को शामिल करना, अपात्र मतदाताओं को निर्वाचक नामावली से निरसित करना तथा निर्वाचकों की प्रविष्टि प्राप्त आवेदनों के निराकरण के आधार पर संशोधित करते हुए निर्वाचक नामावली को अद्यतन करना है तथा 01.01.2013 की अर्हता तिथि पर 18 वर्ष पूर्ण करने वाले आमजनों की जानकारी एकत्रित करना है।
- 3 - डोर-टू-डोर सर्वे हेतु 05.01.2012 को प्रकाशित फोटो निर्वाचक नामावली का उपयोग किया जाना है। अतः बी.एल.ओ. के पास 05.01.2012 को प्रकाशित फोटो निर्वाचक नामावली अर्थात् मूल सूची तथा पूरक सूची दोनों उपलब्ध होनी चाहिये। यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि सितम्बर 2011 में कराये गये डोर-टू-डोर सर्वे में उपयोग किये गये बी.एल.ओ. रजिस्टर-2011 को रिकार्ड के रूप सुरक्षित रखना है अर्थात् रजिस्टर से मतदाता सूची की प्रविष्टियों का मिलान किया जा सकता है। प्रत्येक बी.एल.ओ. को उसके क्षेत्र की 05.01.2012 को प्रकाशित फोटो निर्वाचक नामावली एवं उसके पश्चात निरन्तर अद्यतन के दौरान जोड़े गये नामों की सूची के साथ-साथ एक रजिस्टर उपलब्ध कराया जाये। इसके साथ ही अन्य नीचे उल्लेखित परिशिष्ट जिले में उपलब्ध कम्प्यूटर से मुद्रित कर उपलब्ध कराये जावें।
- 4 - फोटो निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन 05.01.2012 के पश्चात तथा डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान प्ररूप-6, 7, 8, 8क एवं 6क में दावे/आपत्तियों की प्राप्ति एवं निराकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 22 एवं 23 के सहपठित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 26 तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की पुस्तिका 2008 के अध्याय 8 "**Continuous updation (Between Revisions)**" में दिये गये निर्देशों के तहत किया जावे। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की पुस्तिका 2008 के अध्याय 8 के बिन्दु 9 में उल्लेखित रजिस्टर में प्राप्त दावे/आपत्तियों की प्रविष्टियां दिये गये निर्देशानुसार अनिवार्यतः सुनिश्चित की जावें। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 26 तथा उपरोक्त नियम निर्देश एवं आयोग के निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जावे। प्राप्त फार्म की एक प्रति आक्षेप प्राप्त करने वाली सूचना के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में किसी सहज दृश्य

स्थान (नोटिस बोर्ड) पर लगाने पर निर्देश व आक्षेप प्राप्त करना एवं उनकी सुनवाई करने के प्रावधान का पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाय। किसी भी स्थिति में नियम निर्देश एवं प्रक्रिया का उल्लंघन न हो यह सुनिश्चित किया जाय।

5. डोर टू डोर सर्वे के दौरान निम्न कार्य किये जावेंगे :-

- 5.1- बी.एल.ओ. द्वारा घर घर जाकर अंतिम प्रकाशित फोटो निर्वाचक नामावलियों -2012 को निर्वाचक को दिखाते हुए जांच करना तथा अर्हता तिथि 1.1.2012 पर छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने हेतु नियमानुसार प्ररूप-6 में आवेदन प्राप्त करना। यदि कोई निर्वाचक उसी विधान सभा क्षेत्र में स्थानान्तरित होकर निवासरत है तो उससे प्ररूप-8क में आवेदन लिया जावे। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 26 अनुसार फार्म दो प्रतियों में लिया जावे। (निम्न संलग्न)
- 5.2- यदि कतिपय मकान क्रमांक मतदाता सूची में छूटे हुये हैं तथा उनमें पात्र मतदाता निवास कर रहे हैं, तथा उनका नाम निर्वाचक नामावली में उपलब्ध नहीं है, तो विधिवत निर्धारित फार्म लेते हुए नाम जोड़ने की कार्यवाही करना तथा परिशिष्ट-1 में जानकारी संकलित करना।
- 5.3- आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्र के क्षेत्र के अंतर्गत नई कालोनियों /नये अपार्टमेंट्स/नये परिसर/नये मकान निर्मित होने की जानकारी परिशिष्ट-2 में संकलित की जाना है। उनमें रहने वाले पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में छूटे होने पर विधिवत निर्धारित फार्म भरवाते हुये नाम जोड़ने की कार्यवाही करना। इस हेतु कंट्रोल टेबल सुधार के लिये विशेष तौर पर सेक्शन का डाटा आदि भी राज्य स्तरीय संस्था/वेण्डर को उपलब्ध कराया जावे। जिससे कंट्रोल टेबल अपडेशन हो सके।
- 5.4- जन्म मृत्यु पंजीयन रजिस्टर के आधार पर मृत मतदाताओं के नाम निरसित करने की कार्यवाही। डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान मृत निर्वाचकों के पाये जाने पर मतदाता सूची में दर्ज उनके परिवार के सदस्य से प्ररूप-7 प्राप्त करना।
- 5.5- स्थानान्तरित मतदाताओं की जांच करते हुए विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए विधिवत प्ररूप-7 प्राप्त करना।
- 5.6- डीडुप्लीकेट सूची की जांच की जावेगी तथा वास्तविक डुप्लीकेट पाई गई प्रविष्टियों को विधिवत कार्यवाही कर निरसन की कार्यवाही की जावे।
- 5.7- नॉन फोटो एंट्री वाली प्रविष्टियों के फोटोग्राफ्स विधिवत प्ररूप-8 में प्राप्त किये जावें।
- 5.8- निर्वाचक नामावली में त्रुटिपूर्ण अंकित फोटोग्राफ्स अंकित होने पर विधिवत जांच करते हुए सही फोटो के साथ प्ररूप-8 में आवेदन प्राप्त किये जावें।
- 5.9- डाटा में पाई गई विसंगतियों की जांच की जावेगी।
- 5.10- पूर्व पत्र दिनांक 27.3.2012 में दिये गये निर्देशानुसार 1.1.2013 की अर्हता तिथि के मान से पात्र नवीन मतदाताओं के आवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश को निरस्त किया जाता है।
- 5.11- यह निर्देशित किया जाता है कि ऐसे मतदाताओं की सूची तैयार की जावे जो 1.1.2013 की अर्हता तिथि को 18 वर्ष पूर्ण करेगें जिससे पूर्व में ही यह ज्ञात होगा कि कितने नाम 01.01.



2013 के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान जुड़ेगें। उनके फार्म भारत निर्वाचन आयोग के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2013 के कार्यक्रम के समय लिये जावेंगे।

5.12- सर्वे के दौरान मतदान केन्द्र के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों के मकान क्रमांक अनुसार वास्तविक कुल जनसंख्या अनिवार्यतः परिशिष्ट-3 संलग्न में ज्ञात की जाना है।

5.13- बी एल ओ को जिले एवं विधान सभा क्षेत्र का जेण्डर रेशो उपलब्ध कराया जाये, तथा बी एल ओ स्वयं अपने मतदान केन्द्र का जेण्डर रेशो 5.1.2012 को प्रकाशित मतदाता सूची से ज्ञात करे तथा जिले एवं विधान सभा क्षेत्र से कम होने पर महिलाओं के पंजीयन पर विशेष ध्यान देवें। इसके लिये बी.एल.ओ. परिशिष्ट-4 में अपनी जानकारी भरेंगे।


5.14- जिले वार तथा विधान सभा क्षेत्रवार Age Cohort Analysis बी एल ओ को भी उपलब्ध कराई जाये। मतदान केन्द्र वार Age Cohort Analysis स्वयं बी एल ओ 1.1.2012 के मान से प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार परिशिष्ट-5 में भरेंगे तथा जिस ग्रुप में निर्वाचकों की संख्या कम है उस और विशेष ध्यान देंगे।

6- इस डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 18 वर्ष 1.1.2012 को हो गई है, उनके आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं उनकी सूची दिये गये खाली रजिस्टर में बनाई जावे तथा सर्वे के दौरान अलग-अलग तिथियों में बी.एल.ओ. संबंधितों के घर जाकर आवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। प्राप्त आवेदन पत्र बी.एल.ओ. द्वारा प्रत्येक मंगलवार को संबंधित बी.एल.ओ. सुपरवाइजर को उपलब्ध करायेंगे। बी.एल.ओ. सुपरवाइजर प्रति सप्ताह बुधवार को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

7- प्रति सप्ताह जिला निर्वाचन अधिकारी समीक्षा कर संलग्न प्रारूप परिशिष्ट-6 में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के कार्यालय को भेजेगें।

8- अन्य विभागों के प्रतिनिधियों को मतदान केन्द्र के क्षेत्र एवं बी.एल.ओ.के पते एवं मोबाईल अनिवार्यतः उपलब्ध कराने हेतु उप जिला निर्वाचन अधिकारी/संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा बी.एल.ओ. ट्रेनिंग के समय अन्य विभागों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करें।

9- आशा है कि इस डोर-टू-डोर सर्वे से 01.01.2012 की अर्हता तिथि के अनुसार निर्वाचक नामावली में विधिवत समस्त छूटे हुए पात्र नामों को सम्मिलित तथा अपात्र नामों को निरसित कर निर्वाचक नामावली को त्रुटिरहित और सुदृढ कर सकेंगे। बी.एल.ओ. अपने कार्य के साथ-साथ उक्त कार्य भी करेंगे।


  
(एस.एस. बंसल)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 1/2012/3/

प्रतिलिपि-संभागायुक्त समस्त, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

भोपाल, दिनांक

  
(एस.एस. बंसल)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  
मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-1

मतदान केन्द्र के अन्तर्गत मतदाता सूची में छूटे हुए मकान क्रमांक की जानकारी  
(यह प्रपत्र केवल मतदाता सूची में उपलब्ध अनुभाग में छूटे हुए मकानों के लिए ही भरा जावे।)

विधान सभा क्षेत्र क्रमांक एवं नाम		मतदान केन्द्र क्रमांक		
अनुभाग का क्रमांक व नाम	मतदाता सूची में छूटे हुए मकान का क्रमांक	मकान बनकर पूर्ण होने की अनुमानित तिथि	मकान में कब से लोग निवासरत हैं अनुमानित तिथि	मतदाता की संख्या व नाम जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं

बी.एल.ओ. का नाम व पता एवं मोबाईल नम्बर  
दिनांक.....

परिशिष्ट-2

मतदाता सूची में छूटे हुए नये मकान क्रमांक की जानकारी  
(यह प्रपत्र केवल मतदाता सूची में उपलब्ध अनुभाग के अलावा छूटे हुए नवीन निर्मित कालोनी, अपार्टमेन्ट, परसिर  
आदि के मकानों के लिए ही भरा जावे।)

विधान सभा क्षेत्र क्रमांक एवं नाम			मतदान केन्द्र क्रमांक	
नये अनुभाग का नया क्रमांक व नाम	मकानों के क्रमांक जिनमें रहवासी रहते हैं	मकान बनकर पूर्ण होने की अनुमानित तिथि	मकान में कब से लोग निवासरत हैं अनुमानित तिथि	मतदाता की संख्या एवं नाम जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं

बी.एल.ओ. का नाम व पता एवं मोबाईल नम्बर  
दिनांक .....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की घोषणा

मैं.....(नाम/पद नाम)..... यह घोषणा करता हूँ कि परिशिष्ट 2 में वर्णित नये अनुभाग/अनुभागों की जांच मेरे द्वारा की गई तथा यह अनुभाग.....विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित .....मतदान केन्द्र के निर्धारित क्षेत्र के अन्तर्गत ही समाहित हैं, की पुष्टि करता हूँ।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी  
विधान सभा का नाम एवं क्रमांक  
स्थान  
दिनांक



परिशिष्ट-4																	
मतदान केन्द्र का जेण्डर रेशो																	
विधान सभा क्षेत्र कमांक एवं नाम								मतदान केन्द्र कमांक									
जिले का जेण्डर रेशो .....								विधान सभा क्षेत्र का जेण्डर रेशो .....									
मतदान केन्द्र की कुल जनसंख्या जो डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान परिशिष्ट 3 में ज्ञात की है				परिशिष्ट 3 के अनुसार मतदान केन्द्र में 01.01.2012 की तिथि पर 18 वर्ष या अधिक आयु पूर्ण करने वाले कुल कितने लोग निवासरत हैं				कुल कितने मतदाता निर्वाचक नामावली में दर्ज हैं				मतदान केन्द्र की जनसंख्या अनुसार जेण्डर रेशो		वास्तविक जेण्डर रेशो (निवासरत का)		निर्वाचक नामावली का जेण्डर रेशो	
पुरुष	महिला	अन्य	कुल	पुरुष	महिला	अन्य	कुल	पुरुष	महिला	अन्य	कुल	कालम नं. (2)X1000(1)	कालम नं. (6)X1000(1)	कालम नं. (9)X1000(1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14			

बी.एल.ओ का नाम पता और मोबाईल नं.  
दिनांक .....

परिशिष्ट-5

मतदान केंद्र कर्मांक	विधान सभा क्षेत्र कर्मांक एवं नाम	मतदान केंद्र की Age Cohort	मतदान केंद्र कर्मांक प्रतिशत कुल मतदाता से	प्रतिशत निकालने के लिये फार्मूला
1	2	3	4	5
	Age Cohort मानक	मतदाता सूची में Age wise निर्वाचकों की संख्या बी.एल.ओ. द्वारा गणना कर जाली जावे		
1	18-19	(1)		$(1) \times 100 / (11)$
2	20-29	(2)		$(2) \times 100 / (11)$
3	30-39	(3)		$(3) \times 100 / (11)$
4	40-49	(4)		$(4) \times 100 / (11)$
5	50-59	(5)		$(5) \times 100 / (11)$
6	60-69	(6)		$(6) \times 100 / (11)$
7	70-79	(7)		$(7) \times 100 / (11)$
8	80-89	(8)		$(8) \times 100 / (11)$
9	90-99	(9)		$(9) \times 100 / (11)$
10	100+	(10)		$(10) \times 100 / (11)$
11	TOTAL	(11)		

बी.एल.ओ का नाम पता और मोबाईल नं.  
दर्नांक .....

f



परिशिष्ट-6

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सप्ताहिक रिपोर्ट

विधान सभा क्षेत्र क्रमांक एवं नाम		मतदान केन्द्र क्रमांक															
जिले का नाम	विधान सभा क्षेत्र का नाम / क्रमांक	सर्वे के समय प्राप्त आवेदनों की संख्या 1.1.2012 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले जिनके नाम सूची में नहीं हैं। उनके प्राप्त आवेदनों की संख्या					निराकृत आवेदनों की संख्या कॉलम नम्बर 3 के विरुद्ध					1-1-2013 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले व्यक्तियों की संख्या	शेष आवेदनों की संख्या 3-4				
1	2	3					4					5	6				
		6	7	8	8ए	6ए	6	7	8	8ए	6ए		6	7	8	8ए	6ए

जिला निर्वाचन अधिकारी का नाम .....

दूरभाष नंबर.....

(2) जहां कि नामावली या उसका कोई भाग किसी वर्ष में विस्तारपूर्वक पुनरीक्षित की जानी या किया जाना है, वहां वह नए सिरे से तैयार की जाएगी या किया जाएगा और ऐसे पुनरीक्षण के संबंध में 4 से लेकर 23 तक के नियम ऐसे लागू होंगे जैसे वे नामावली की प्रथम तैयारी के संबंध में लागू होते हैं।

(3) जबकि नामावली या उसका कोई भाग किसी वर्ष में संक्षिप्ततः पुनरीक्षित की जानी है या किया जाना है तब रजिस्ट्रीकरण आफिसर ऐसी जानकारी के आधार पर, जैसी सुगमता से उपलब्ध हो, नामावली के सुसंगत भागों के संशोधनों की सूची तैयार कराएगा और नामावली को संशोधनों की सूची के प्रारूप सहित प्रकाशित करेगा; और ऐसे पुनरीक्षण के संबंध में नियम 9 से लेकर नियम 23 तक के उपबंध ऐसे लागू होंगे जैसे वे नामावली की प्रथम तैयारी के संबंध में लागू होते हैं।

(4) जहां कि उपनियम (2) के अधीन पुनरीक्षित नामावली के या उपनियम (3) के अधीन नामावली और संशोधनों को सूची के प्रारूप के प्रकाशन और नियम 22 के अधीन उसके अंतिम प्रकाशन के बीच किसी समय धारा 23 के अधीन तत्समय प्रवृत्त नामावली में किन्हीं नामों को सम्मिलित करने का निर्देश दिया गया है वहां रजिस्ट्रीकरण आफिसर उन नामों को पुनरीक्षित नामावली में भी उस दशा में के सिवाय सम्मिलित कराएगा जिसमें कि उसकी राय में ऐसे सम्मिलित किए जाने के लिए कोई विधिमान्य आक्षेप है।

26. <sup>1</sup>[निर्वाचक नामावलियों में प्रविष्टियों का शुद्ध किया जाना और नामों को सम्मिलित किया जाना]— <sup>2</sup>[(1) धारा 22 या धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन हर आवेदन प्ररूप <sup>3</sup>[6,7, 8, 8क और 8ख] में से ऐसे एक प्ररूप में जैसा समुचित हो, दो प्रतियों में किया जाएगा <sup>4</sup>\*\*\*\* ] :

<sup>5</sup>[परंतु ऐसे व्यक्तियों से जिनके पास सेवा अर्हताएं हैं, निर्वाचक नामावली के अंतिम रूप से प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त प्ररूप 2, 2क और 3 में विवरणियों को, धारा 22 और 23 के अधीन आवेदन के रूप में माना जाएगा <sup>4</sup>\*\*\*\*।

<sup>5</sup>[(1क) ऐसा प्रत्येक आवेदन, जो उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट किया गया है, रजिस्ट्रीकरण आफिसर के पास ऐसी रीति से प्रस्तुत किया जाएगा जो निर्वाचन आयोग निदेश दे।]

6*	*	*	*
4*	*	*	*

(3) <sup>7</sup>\*\*\*\* रजिस्ट्रीकरण आफिसर ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर अविलंब यह निदेश देगा कि उसकी एक प्रति यह आमंत्रित करने वाली सूचना के साथ अपने कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान में लगा दी जाए कि ऐसे लगाए जाने की तारीख से सात दिन की कालावधि के अंदर ऐसे आवेदन पर आक्षेप किए जाएं।

<sup>1</sup> अधिसूचना सं० का०आ० 2315, तारीख 21 सितंबर, 1961 द्वारा पार्श्वशीर्ष "निर्वाचक नामावलियों में नामों का सम्मिलित किया जाना" के स्थान पर प्रतिस्थापित।  
<sup>2</sup> अधिसूचना सं० का०आ० 3874, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा उपनियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।  
<sup>3</sup> अधिसूचना सं० का०आ० 934(अ), तारीख 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।  
<sup>4</sup> अधिसूचना सं० का०आ० 537(अ), तारीख 22 जुलाई, 1992 द्वारा उपनियम (2) और (2क) तथा कुछ शब्दों का लोप किया गया।  
<sup>5</sup> अधिसूचना सं० का०आ० 814(अ), तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा अंतःस्थापित।  
<sup>6</sup> अधिसूचना सं० का०आ० 817(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 1993 द्वारा उपनियम (1ख) का लोप किया गया।  
<sup>7</sup> अधिसूचना सं० का०आ० 3874, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960  
(कानूनी नियम और आदेश)

8

[(4) यदि रजिस्ट्रीकरण आफिसर को कोई आवेदन या उसके आक्षेप प्राप्त हुए हों तो वह उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उन पर विचार करेगा और यदि उसका समाधान हो जाए तो, वह नामावली में जैसा आवश्यक हो, प्रविष्टियों के समावेश, निकाले जाने, संशोधन या अन्यत्र रखने का निदेश देगा :

परंतु जब रजिस्ट्रीकरण आफिसर किसी आवेदन को नामंजूर कर देता है तो वह ऐसे नामंजूर किए जाने के अपने कारणों का संक्षिप्त कथन लिखित रूप में अभिलिखित करेगा ।]

27. \*\*\* नियम 26 के अधीन आदेशों से अपीलें—<sup>3</sup>[(1) धारा 24 के अधीन हर अपील,—

(क) [अपीलार्थी] द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में,

(ख) अपीलित आदेश की प्रति के साथ<sup>6</sup> [पांच रुपए की फीस सहित] जो कि—

(i) न्यायिकेतर स्टॉपों के रूप में दी जाएगी; या

(ii) मुख्य निर्वाचन आफिसर के नाम में सरकारी खजाने में या भारतीय रिजर्व बैंक में जमा की जाएगी;

या

(iii) ऐसी अन्य रीति में दी जाएगी जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे; और]

<sup>7</sup>[(ग) मुख्य निर्वाचन आफिसर के समक्ष उस आदेश की तारीख से, जिसके खिलाफ अपील की गई है पन्द्रह दिन की कालावधि के अंदर उपस्थित करके या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा ऐसे भेजी जाकर कि उक्त कालावधि के अंदर उसके पास पहुंच जाए.]

की जाएगी:

<sup>8</sup>[परंतु यदि मुख्य निर्वाचन आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि अपील को विहित समय के भीतर प्रस्तुत न करने के लिए अपीलार्थी के पास पर्याप्त हेतुक है तो वह उसे विलंब से अपील प्रस्तुत करने के लिए माफ कर सकेगा।]

<sup>9</sup>[(क) जहां कि फीस उपनियम (1) के खंड (ख) (ii) के अधीन जमा की जाती है वहां अपीलार्थी फीस जमा करने के सबूत के रूप में सरकारी खजाने की रसीद अपील के ज्ञापन के साथ संलग्न करेगा ।]

<sup>10</sup>[(2) अपील की बाबत उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह उस दशा में, जिसमें कि अपील का ज्ञापन मुख्य निर्वाचन आफिसर को स्वयं या उस द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य आफिसर को अपीलार्थी द्वारा या उसकी ओर से परिदत्त किया गया है मुख्य निर्वाचन आफिसर के समक्ष उपस्थित की गई है ।]

28. अधिसूचित निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचकों के लिए अधिज्ञान-पत्र <sup>11</sup>\*\*\* —(1) निर्वाचन आयोग मतदान के समय निर्वाचकों का प्रतिरूपण रोकने और उनका अभिज्ञान सुकर बनाने की दृष्टि से, राज्य के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि इस नियम के उपबंध <sup>12</sup>[किसी ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र या उसके भाग] को लागू होंगे जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) ऐसे अधिसूचित निर्वाचन-क्षेत्र का रजिस्ट्रीकरण आफिसर उपनियम (1) के अधीन अधिसूचना के निकाले जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र इस नियम के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया अभिज्ञान-पत्र हर निर्वाचक को दिए जाने

बसन्त  
1960

in sub-rule.(3).  
the inclusion.

writing a brief

the chief electoral

d]

date of the order

deal to him, if he is

enclose with the

the chief electoral  
of electoral officer

ission may, with a  
by notification in  
onstituency or part

er the issue of the  
ared in accordance